JPD/Rules-1281

# JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

CIN: U40109RJ2000SGC016486
(A Government of Rajasthan Undertaking)
"प्रभाविन शक्ति सूर्यायें" Regd. Office: Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur 302005
Tel/Fax: +91-141-2740264 / Email: caoia@jvvnl.org / Website: http://energy.rajasthan.gov.in/jvvnl

No. JPD/CAO(IA)/AO/Rules/F.54/D.6174 Jaipur, dated: -06/02/2020

## Circular

**Sub: - Adoption of GoR's order dated 29.03.2019 & 29.08.2019 regarding model roster for promotion.**

The Coordination Committee of Rajasthan State Power Sector Companies, for ensuring implementation of reservation policy of the State, has decided in its 21st meeting held on 27.09.2019 to adopt the revised model "Roster" for direct recruitment as circulated by the Department of Personnel, GoR vide circular no. F.7(2)Karmik/Ka-2/2019 dated 29.03.2019 and the guidelines for reservation to persons with benchmark disabilities issued vide circular no. 7(2)Karmik/Ka-2/2019 dated 29.08.2019.

As regards model roster for promotions, the circular dated 29.03.2019 categorically provides that the model rosters for promotions, appended as Schedule-III & Schedule-IV to the notification no. F.15(24)DOP/A-II/75 Pt. dated 18.09.2009, shall be applicable.

Accordingly, enclosing copies of circulars dated 29.03.2019 (Annexure-A) and 29.08.2019 (Annexure-B) and model rosters for promotions appended to the notification dated 18.09.2009 (Annexure-"C" & "D"), it is enjoined upon all officers/officials to ensure applicability of these model "Roster" and compliance of guidelines for reservations to persons with benchmark disabilities.

This is subject to ratification by the Board of Directors, JVVNL.

Encl:-As above

By Order,

(Dr. R.P.Gupta)
Chief Accounts Officer (IA)

Copy submitted/forwarded to the following for information and circulation in various offices under their jurisdiction and control: -

1. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer ( ), JPD,________
2. The Chief Controller of Accounts/Chief Personnel Officer, JPD, Jaipur
3. The Dy. Chief Engineer ( ), JPD,
4. The Chief Accounts Officer (FM-W&M/ R&B) JPD, Jaipur.
5. The Secretary (Admn.)/Company Secretary, JPD, Jaipur.
6. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JPD, Jaipur.
7. The Sr. Accounts Officer ( )/ Dy. Director of Personnel ( ), JPD,______

8. The Superintending Engineer (      ), JPD, ________
9. The Superintending Engineer (IT), JPD, Jaipur. He is requested to upload this order indicating JPD/Rules No. on the Jaipur Discom's website.
10. The Accounts Officer/Asstt. Accounts Officer (      ), JPD, ______
11. P.A to the Accountant General (E&R Sector Audit), O/o Principal AG Rajasthan, Jaipur.
12. P.A to the Chairman & Managing Director, JVVNL, Jaipur.
13. P.A to the Director (Finance/Technical), JPD, Jaipur.

(Yeshwant Jonwal)
**Asst. Accounts Officer (Rules)**

अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के द्वारा विविध सेवा नियमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

वर्तमान में राज्य के अधीन सेवाओं में सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए क्रमशः 16%, 12%, 21%, 5% एवं 10% आरक्षण का प्रावधान है। ये सभी आरक्षण लम्बवत (vertical) हैं। इसके अलावा सीधी भर्ती में अन्य प्रवर्गों के आरक्षण जैसे राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य सेवा में 5%, अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं में 12½% एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा में 15% आरक्षण, सभी सेवाओं में महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% आरक्षण जिसमें 8% विधवा एवं 2% परित्यक्ता के लिए है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं में 2% आरक्षण, कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 24.02.88 के अनुसार राज्य सेवा के पदों पर सरकार, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए 7% आरक्षण, जो राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के अन्तर्गत देय है, का प्रावधान है। ये सभी आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.01.2019 जारी कर राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अन्तर्गत सीधी भर्ती में विशेष योग्यजनों को 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। विशेष योग्यजन के लिए रोस्टर से संबंधित निर्देश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ही जारी किये जाने हैं।

अतः कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 20.11.97, 07.08.07 के साथ संलग्न उपाबन्ध–II/ उपाबन्ध–II का परिशिष्ट यथास्थिति एवं अधिसूचना दिनांक 18.09.09 के साथ संलग्न अनुसूची–I एवं अनुसूची–II में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित रोस्टर के अतिक्रमण में लम्बवत एवं क्षैतिज आरक्षण के रूप में संशोधित रोस्टर निर्धारित कर संलग्न उपाबन्ध–II एवं उपाबन्ध–II–क अनुसार जारी किया जाता है।

जहां तक पदोन्नति का संबंध है, अधिसूचना दिनांक 18.09.09 के साथ संलग्न अनुसूची–III एवं अनुसूची–IV में विद्यमान आरक्षण रोस्टर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

सभी नियुक्ति प्राधिकारी एवं विभागाध्यक्ष अपने विभाग में उपर्युक्तानुसार (उपाबन्ध–II एवं उपाबन्ध–II–क के अनुसार) रोस्टर पंजिका संधारित करते हुए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न : उपाबन्ध–II एवं उपाबन्ध–II–क
(पृ० 3 से 8 तक)

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

16/2019

| राज्य/अधीनस्थ/मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में अ.जा./अ.ज.जा./पि.व./अति.पि.व./आर्थिक कमजोर वर्ग (लम्बवत) एवं महिला वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/खिलाड़ियों/अराजपत्रित कर्मचारियों (क्षैतिज) के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण का मॉडल रोस्टर | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम संख्या | अनु0 जाति 16% | अनु0 जनजाति 12% | पिछड़ा वर्ग 21% | अति पिछड़ा वर्ग 5% | आर्थिक कमजोर वर्ग 10% | प्रवर्ग जिसके लिए पद चिन्हित किए जाने चाहिए | महिला वर्ग– 30% (महिला–20% विधवा–8% परित्यक्ता–2%) | भूतपूर्व सैनिक | | | खिलाड़ियों हेतु 2% | अराजपत्रित कर्मचारी 7% |
| | | | | | | | | राज्य सेवा 5% | अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा 12½% | चतुर्थ श्रेणी सेवा 15% | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | 0.05 | 0.1 | UR-1 | | | | | | |
| 2 | 0.32 | 0.24 | 0.42 | 0.1 | 0.2 | UR-2 | | | | | | |
| 3 | 0.48 | 0.36 | 0.63 | 0.15 | 0.3 | UR-3 | | | | | | |
| 4 | 0.64 | 0.48 | 0.84 | 0.2 | 0.4 | UR-4 | | | | | | |
| 5 | 0.8 | 0.6 | 1.05 | 0.25 | 0.5 | BC-1 | W-1 | | | | | |
| 6 | 0.96 | 0.72 | 1.26 | 0.3 | 0.6 | UR-5 | | | | | | |
| 7 | 1.12 | 0.84 | 1.47 | 0.35 | 0.7 | SC-1 | | | | Ex-serv.-1 | | |
| 8 | 1.28 | 0.96 | 1.68 | 0.4 | 0.8 | UR-6 | | | Ex-serv.-1 | | | |
| 9 | 1.44 | 1.08 | 1.89 | 0.45 | 0.9 | ST-1 | | | | | | |
| 10 | 1.6 | 1.2 | 2.1 | 0.5 | 1 | BC-2 | W-2 | | | | | |
| 11 | 1.76 | 1.32 | 2.31 | 0.55 | 1.1 | EWS-1 | | | | | | |
| 12 | 1.92 | 1.44 | 2.52 | 0.6 | 1.2 | UR-7 | | | | | | |
| 13 | 2.08 | 1.56 | 2.73 | 0.65 | 1.3 | SC-2 | Widow-1 | | | | | |
| 14 | 2.24 | 1.68 | 2.94 | 0.7 | 1.4 | UR-8 | | | | Ex-serv.-2 | | |

6√

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2.4 | 1.8 | 3.15 | 0.75 | 1.5 | BC-3 | W-3 | | | | | NGE-1 |
| 16 | 2.56 | 1.92 | 3.36 | 0.8 | 1.6 | UR-9 | | | Ex-serv.-2 | | | |
| 17 | 2.72 | 2.04 | 3.57 | 0.85 | 1.7 | ST-2 | | | | | | |
| 18 | 2.88 | 2.16 | 3.78 | 0.9 | 1.8 | UR-10 | | | | | | |
| 19 | 3.04 | 2.28 | 3.99 | 0.95 | 1.9 | SC-3 | | | | | | |
| 20 | 3.2 | 2.4 | 4.2 | 1 | 2 | BC-4 | W-4 | Ex-serv.-1 | | Ex-serv.-3 | | |
| 21 | 3.36 | 2.52 | 4.41 | 1.05 | 2.1 | MBC-1 | | | | | | |
| 22 | 3.52 | 2.64 | 4.62 | 1.1 | 2.2 | EWS-2 | | | | | | |
| 23 | 3.68 | 2.76 | 4.83 | 1.15 | 2.3 | UR-11 | | | | | | |
| 24 | 3.84 | 2.88 | 5.04 | 1.2 | 2.4 | BC-5 | | | Ex-serv. 3 | | | |
| 25 | 4 | 3 | 5.25 | 1.25 | 2.5 | ST-3 | Widow-2 | | | | | |
| 26 | 4.16 | 3.12 | 5.46 | 1.3 | 2.6 | SC-4 | W-5 | | | | | |
| 27 | 4.32 | 3.24 | 5.67 | 1.35 | 2.7 | UR-12 | | | | Ex-serv.-4 | | |
| 28 | 4.48 | 3.36 | 5.88 | 1.4 | 2.8 | UR-13 | | | | | | |
| 29 | 4.64 | 3.48 | 6.09 | 1.45 | 2.9 | BC-6 | | | | | | NGE-2 |
| 30 | 4.8 | 3.6 | 6.3 | 1.5 | 3 | EWS-3 | W-6 | | | | | |
| 31 | 4.96 | 3.72 | 6.51 | 1.55 | 3.1 | UR-14 | | | | | | |
| 32 | 5.12 | 3.84 | 6.72 | 1.6 | 3.2 | SC-5 | | | Ex-serv. 4 | | | |
| 33 | 5.28 | 3.96 | 6.93 | 1.65 | 3.3 | UR-15 | | | | | | |
| 34 | 5.44 | 4.08 | 7.14 | 1.7 | 3.4 | BC-7 | | | | Ex-serv.-5 | | |
| 35 | 5.6 | 4.2 | 7.35 | 1.75 | 3.5 | ST-4 | W-7 | | | | | |
| 36 | 5.76 | 4.32 | 7.56 | 1.8 | 3.6 | UR-16 | | | | | | |
| 37 | 5.92 | 4.44 | 7.77 | 1.85 | 3.7 | UR-17 | | | | | | |
| 38 | 6.08 | 4.56 | 7.98 | 1.9 | 3.8 | SC-6 | Widow-3 | | | | | |
| 39 | 6.24 | 4.68 | 8.19 | 1.95 | 3.9 | BC-8 | | | | | | |
| 40 | 6.4 | 4.8 | 8.4 | 2 | 4 | MBC-2 | W-8 | Ex-serv.-2 | Ex-serv.-5 | Ex-serv.-6 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 6.56 | 4.92 | 8.61 | 2.05 | 4.1 | EWS-4 | | | | | | |
| 42 | 6.72 | 5.04 | 8.82 | 2.1 | 4.2 | ST-5 | | | | | | |
| 43 | 6.88 | 5.16 | 9.03 | 2.15 | 4.3 | BC-9 | | | | | | NGE-3 |
| 44 | 7.04 | 5.28 | 9.24 | 2.2 | 4.4 | UR-18 | | | | | | |
| 45 | 7.2 | 5.4 | 9.45 | 2.25 | 4.5 | SC-7 | W-9 | | | | | |
| 46 | 7.36 | 5.52 | 9.66 | 2.3 | 4.6 | UR-19 | | | | | | |
| 47 | 7.52 | 5.64 | 9.87 | 2.35 | 4.7 | UR-20 | | | | Ex-serv.-7 | | |
| 48 | 7.68 | 5.76 | 10.08 | 2.4 | 4.8 | BC-10 | | | Ex-serv.-6 | | | |
| 49 | 7.84 | 5.88 | 10.29 | 2.45 | 4.9 | UR-21 | | | | | | |
| 50 | 8 | 6 | 10.5 | 2.5 | 5 | ST-6 | Divorcee-1 | | | | Sports Per.-1 | |
| 51 | 8.16 | 6.12 | 10.71 | 2.55 | 5.1 | EWS-5 | Widow-4 | | | | | |
| 52 | 8.32 | 6.24 | 10.92 | 2.6 | 5.2 | SC-8 | W-10 | | | | | |
| 53 | 8.48 | 6.36 | 11.13 | 2.65 | 5.3 | BC-11 | | | | | | |
| 54 | 8.64 | 6.48 | 11.34 | 2.7 | 5.4 | UR-22 | | | | Ex-serv.-8 | | |
| 55 | 8.8 | 6.6 | 11.55 | 2.75 | 5.5 | UR-23 | W-11 | | | | | |
| 56 | 8.96 | 6.72 | 11.76 | 2.8 | 5.6 | UR-24 | | | Ex-serv.-7 | | | |
| 57 | 9.12 | 6.84 | 11.97 | 2.85 | 5.7 | SC-9 | | | | | | |
| 58 | 9.28 | 6.96 | 12.18 | 2.9 | 5.8 | BC-12 | | | | | | NGE-4 |
| 59 | 9.44 | 7.08 | 12.39 | 2.95 | 5.9 | ST-7 | | | | | | |
| 60 | 9.6 | 7.2 | 12.6 | 3 | 6 | EWS-6 | W-12 | Ex-serv.-3 | | Ex-serv.-9 | | |
| 61 | 9.76 | 7.32 | 12.81 | 3.05 | 6.1 | MBC-3 | | | | | | |
| 62 | 9.92 | 7.44 | 13.02 | 3.1 | 6.2 | BC-13 | | | | | | |
| 63 | 10.08 | 7.56 | 13.23 | 3.15 | 6.3 | SC-10 | Widow-5 | | | | | |
| 64 | 10.24 | 7.68 | 13.44 | 3.2 | 6.4 | UR-25 | | | Ex-serv.-8 | | | |
| 65 | 10.4 | 7.8 | 13.65 | 3.25 | 6.5 | UR-26 | W-13 | | | | | |
| 66 | 10.56 | 7.92 | 13.86 | 3.3 | 6.6 | UR-27 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 10.72 | 8.04 | 14.07 | 3.35 | 6.7 | BC-14 | | | | Ex-serv.-10 | | |
| 68 | 10.88 | 8.16 | 14.28 | 3.4 | 6.8 | ST-8 | | | | | | |
| 69 | 11.04 | 8.28 | 14.49 | 3.45 | 6.9 | SC-11 | | | | | | |
| 70 | 11.2 | 8.4 | 14.7 | 3.5 | 7 | EWS-7 | W-14 | | | | | |
| 71 | 11.36 | 8.52 | 14.91 | 3.55 | 7.1 | UR-28 | | | | | | |
| 72 | 11.52 | 8.64 | 15.12 | 3.6 | 7.2 | BC-15 | | | Ex-serv.-9 | | | NGE-5 |
| 73 | 11.68 | 8.76 | 15.33 | 3.65 | 7.3 | UR-29 | | | | | | |
| 74 | 11.84 | 8.88 | 15.54 | 3.7 | 7.4 | UR-30 | | | | Ex-serv.-11 | | |
| 75 | 12 | 9 | 15.75 | 3.75 | 7.5 | ST-9 | widow-6 | | | | | |
| 76 | 12.16 | 9.12 | 15.96 | 3.8 | 7.6 | SC-12 | W-15 | | | | | |
| 77 | 12.32 | 9.24 | 16.17 | 3.85 | 7.7 | BC-16 | | | | | | |
| 78 | 12.48 | 9.36 | 16.38 | 3.9 | 7.8 | UR-31 | | | | | | |
| 79 | 12.64 | 9.48 | 16.59 | 3.95 | 7.9 | EWS-8 | | | | | | |
| 80 | 12.8 | 9.6 | 16.8 | 4 | 8 | MBC-4 | W-16 | Ex-serv.-4 | Ex-serv.-10 | Ex-serv.-12 | | |
| 81 | 12.96 | 9.72 | 17.01 | 4.05 | 8.1 | BC-17 | | | | | | |
| 82 | 13.12 | 9.84 | 17.22 | 4.1 | 8.2 | SC-13 | | | | | | |
| 83 | 13.28 | 9.96 | 17.43 | 4.15 | 8.3 | UR-32 | | | | | | |
| 84 | 13.44 | 10.08 | 17.64 | 4.2 | 8.4 | ST-10 | | | | | | |
| 85 | 13.6 | 10.2 | 17.85 | 4.25 | 8.5 | UR-33 | W-17 | | | | | |
| 86 | 13.76 | 10.32 | 18.06 | 4.3 | 8.6 | BC-18 | | | | | | NGE-6 |
| 87 | 13.92 | 10.44 | 18.27 | 4.35 | 8.7 | UR-34 | | | | Ex-serv.-13 | | |
| 88 | 14.08 | 10.56 | 18.48 | 4.4 | 8.8 | SC-14 | Widow-7 | | Ex-serv.-11 | | | |
| 89 | 14.24 | 10.68 | 18.69 | 4.45 | 8.9 | UR-35 | | | | | | |
| 90 | 14.4 | 10.8 | 18.9 | 4.5 | 9 | EWS-9 | W-18 | | | | | |
| 91 | 14.56 | 10.92 | 19.11 | 4.55 | 9.1 | BC-19 | | | | | | |
| 92 | 14.72 | 11.04 | 19.32 | 4.6 | 9.2 | ST-11 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 14.88 | 11.16 | 19.53 | 4.65 | 9.3 | UR-36 | | | | Ex-serv.-14 | | |
| 94 | 15.04 | 11.28 | 19.74 | 4.7 | 9.4 | SC-15 | | | | Ex-serv.-14 | | |
| 95 | 15.2 | 11.4 | 19.95 | 4.75 | 9.5 | BC-20 | W-19 | | | | | |
| 96 | 15.36 | 11.52 | 20.16 | 4.8 | 9.6 | MBC-5 | | | Ex-serv.-12 | | | |
| 97 | 15.52 | 11.64 | 20.37 | 4.85 | 9.7 | ST-12 | | | | | | |
| 98 | 15.68 | 11.76 | 20.58 | 4.9 | 9.8 | EWS-10 | Widow-8 | | | | | |
| 99 | 15.84 | 11.88 | 20.79 | 4.95 | 9.9 | SC-16 | W-20 | | | | | |
| 100 | 16 | 12 | 21 | 5 | 10 | BC-21 | Divorcee-2 | Ex-serv.-5 | | Ex-serv.-15 | Sports Per.-2 | NGE-7 |

नोट– इसी संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि क्षैतिज आरक्षण बिन्दुओं में ऐसे भी बिन्दु हैं जो अनु.जाति,, अनु. जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति. पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक कमजोर वर्ग हेतु निर्धारित बिन्दुओं से टकराते हैं परन्तु इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। क्योंकि रोस्टर बिन्दु लम्बवत हो या क्षैतिज प्रवर्ग विशेष के लिये पात्रता/गिनती सुनिश्चित करने के लिये तय किये गये हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे कि बिन्दु सं.–20 पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित है इसी बिन्द पर महिला एवं भूतपूर्व सैनिक भी आते हैं जो क्षैतिज हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं कि महिला वर्ग/भूतपूर्व सैनिक को 20वां बिन्दु दिया जावे और वह भूतपूव्र सैनिक भी हो। अतः तात्पर्य यह है कि 20 पदों में 04 महिलाओं के पद बनते हैं और राज्य सेवा में एक और चतुर्थ श्रेणी सेवा में 3 पद भूतपूर्व सैनिक के बनते हैं। ये चार महिलाऐं किसी भी वर्ग की हो सकती हैं और भूतपूर्व सैनिक भी किसी भी वर्ग का हो सकता है। ये जिस किसी भी वर्ग के (सामान्य/अजा/अजजा/पि.व./अति पि.व./आर्थिक कमजोर वर्ग) अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे उनमें इनको समायोजित कर दिया जावेगा।

उपाबन्ध –II- क

8 पदों तक की संवर्ग संख्या के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण का मॉडल रोस्टर

| संवर्ग संख्या | प्रारम्भिक भर्ती | प्रतिस्थापन संख्या | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | एक | दो | तीन | चार | पांच | छः | सात | आठ |
| 1 | UR | UR | UR | UR | BC | UR | SC | UR | ST |
| 2 | UR | UR | UR | BC | UR | SC | UR | ST | |
| 3 | UR | UR | BC | UR | SC | UR | ST | | |
| 4 | UR | BC | UR | SC | UR | ST | | | |
| 5 | BC | UR | SC | UR | ST | | | | |
| 6 | UR | SC | UR | ST | | | | | |
| 7 | SC | UR | ST | | | | | | |
| 8 | UR | ST | | | | | | | |

टिप्पण–1. 2 से 8 पदों के संवर्गों के लिए रोस्टर, स्तंभ संवर्ग संख्या के अधीन प्रविष्टि 1 से अन्तिम पद तक पढ़ा जाना है और फिर क्षैतिज पंक्ति में अर्थात "L" की तरह अन्तिम प्रविष्टि तक क्षैतिजीय रूप में।

2. आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) एवं अति पिछड़ा वर्ग (MBC) प्रवर्ग क्रमशः बिन्दु संख्या 11 एवं 21 (संवर्ग में पदों की संख्या + क्षैतिज प्रतिस्थापन पंक्ति में प्रतिस्थापन बिन्दु) पर प्रतिस्थापन करेगा।

3. संवर्ग के समस्त पद स्तंभ प्रारम्भिक भर्ती के अधीन दर्शाये गये प्रवर्गों के लिए चिन्हित किए जाने हैं जबकि प्रारम्भिक रूप में पद, चिन्हित प्रवर्गों से भरे जाने होंगे, फिर भी उपर्युक्त टिप्पण संख्या 02 में दर्शाये गये प्रतिस्थापन बिन्दु संख्या 11 एवं 21 जो कि क्रमशः आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) एवं अति पिछड़ा वर्ग (MBC) संवर्ग के लिए चिन्हित होंगे, के अलावा संवर्ग में किसी भी पद के प्रति प्रतिस्थापन चक्रानुक्रम में होगा जैसा कि संवर्ग के अन्तिम पद के सामने क्षैतिजीय रूप दर्शाया गया है।

टिप्पण– चिन्हित प्रवर्ग जो अनुसूची में दर्शाया है निम्न प्रकार है–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | UR | Unreserved (अनारक्षित) |
| 2 | SC | Scheduled Castes (अनुसूचित जाति) |
| 3 | ST | Scheduled Tribes (अनुसूचित जनजाति) |
| 4 | BC | Backward Classes (पिछड़ा वर्ग) |
| 5 | MBC | More Backward Classes (अति पिछड़ा वर्ग) |
| 6 | EWS | Economically Weaker Sections (आर्थिक कमजोर वर्ग) |

09